FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम गै.मु.रास्ता (डूंगरवास)

(ग्राम जाटाहाला से ढाणी बणीयावाली तक)

किस्म मुकदमा :– गै0मु0 रास्ता धारा 131 व 132 मु0नं0 580 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/1119

...ख	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11-09-2025	पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/3703 दिनांक 30.06.2025 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली के साथ ग्राम पंचायत नाथा की नांगल का प्रस्ताव, एनओसी प्रमाण पत्र संलग्न है। पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर खातेदारान/पक्षकार को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 07.10.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
07/10/2025	पत्रावली पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नही है। पक्षकारान/खातेदारान की ओर से सहमति पत्र पेश हुआ। उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने पर अपनी सहमति पत्र पेश किया। तहसीलदार नीमकाथाना व पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक प. 3 (2) राज–6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख [illegible] करने बाबत राजस्व ग्राम डूंगरवास पटवार मण्डल नाथा की नांगल तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1091 रकबा 0.62 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 1082 रकबा 1.20 हैक्ट. किस्म चाही–3 मे से 0.0376 हैक्ट., खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.53 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.023 हैक्ट., खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.66 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.82 हैक्ट. किस्म चाही–1 मे से 0.025	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested

हैक्ट. का कुल 04 मीटर चौडा रास्ते का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रैस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत नाथा की नांगल का प्रस्ताव व अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, फोटोग्राफ है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहीत के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख मे जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एंव नक्शें में तरमीम की जावें। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.28 12:36:54 IST
Reason: SelfAttested